

( राजपत्र, असाधारण, भाग-1 खंड-3, उपखण्ड(1) में प्रकाशनार्थ )  
सं० के-20014/6/2002-डीडी।ए


भारत सरकार  
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 21 फरवरी 2003

अधिसूचना  
जी.एस.आर.सं०----- दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान)  
नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार विभिन्न उपसंगों के  
लिए प्रभार्य पूर्व-निर्धारित दरें एतद्वारा इस प्रकार अधिसूचित करती है :-

भूमि श्रेणी	2001-2002 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए भूमि	3777.00 रुमए
2. वैकल्पिक प्लॉट	3233.00 रुमए (आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभाग प्रभार सहित)
3. दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाएँ (क) एसएफएस (ख) एमआईजी (ग) एलआईजी (घ) ईडब्ल्यूएस	3777.00 रुमए 3147.00 रुमए 1889.00 रुमए 1259.00 रुमए (प्लॉट की बिक्री कीमत निकालते समय आंतरिक विकास की लागत जोड़ी जानी है)
4. झुग्गी-झोपड़ी और अनधिवासी	रु० 20.50 लाख प्रति एकड़ (दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा किए जाने वाले आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर)

ये दरें वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए लागू हैं ।

  
(निशा सिंह)  
निदेशक

सेवा में  
प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मायापुरी,  
नई दिल्ली-110054